

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032021-225749
SG-DL-E-10032021-225749

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 2021/फाल्गुन 18, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 359
No. 87]	DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 2021/PHALGUNA 18, 1942	[N. C. T. D. No. 359

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2021

F. No. 21/4/Apprn.1/2021/LAS-VII/Leg./2622.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

दिल्ली विनियोग (संख्या 01) विधेयक, 2021
2021 का विधेयक संख्या 01

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 09 मार्च, 2021 को पुरःस्थापित किया गया)

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2021

वर्ष 2020-2021 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2021 है।

₹ 891,87,40,000/- का वर्ष 2020-2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभागों की अदायगी के लिए आठ सौ इक्यानवे करोड़ सत्तासी लाख चालीस हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2020-2021 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
I	II		III	IV	V
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	400	500	900
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	627800	307800	935600
		पूँजी	150000	0	150000
4	वित्त	राजस्व	600	0	600
		पूँजी	100	0	100
5	गृह	राजस्व	252650	1500	254150
6	शिक्षा	राजस्व	3800	1000	4800
		पूँजी	100	0	100
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	1014003	450	1014453
		पूँजी	156825	377	157202
8	समाज कल्याण	राजस्व	3250	0	3250
		पूँजी	100	0	100
9	उद्योग	राजस्व	2700050	0	2700050
10	विकास	राजस्व	2805219	0	2805219
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	879316	10600	889916
		पूँजी	2300	0	2300
	योग		8596513	322227	8918740

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 (1) (क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2021, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

(मनीष सिसोदिया)

उप-मुख्य मंत्री/वित्त मंत्री

दिल्ली

06 मार्च, 2021

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2021 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

सी. वेलमुरुगन, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2021

F.No.21/4/Apprn.1/2021/LAS-VII/Leg./2622.—The following is published for general information ;—

THE DELHI APPROPRIATION

BILL NO. 01 OF 2021

(As introduced in the Legislative Assembly of the
National Capital Territory of Delhi on 09 March, 2021)

DELHI APPROPRIATION (No. 1) BILL, 2021

A
BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2020-2021.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2021.

Issue of ₹ 891,87,40,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2020-2021.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees Eight Hundred Ninety One Crore Eighty Seven Lakh and Forty Thousand Only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2020-2021 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
2	General Administration	Revenue	400	500	900
3	Administration of Justice	Revenue	627800	307800	935600
		Capital	150000	0	150000
		Revenue	600	0	600

4	Finance	Capital	100	0	100
5	Home	Revenue	252650	1500	254150
6	Education	Revenue	3800	1000	4800
		Capital	100	0	100
7	Medical and Public Health	Revenue	1014003	450	1014453
		Capital	156825	377	157202
8	Social Welfare	Revenue	3250	0	3250
		Capital	100	0	100
9	Industries	Revenue	2700050	0	2700050
10	Development	Revenue	2805219	0	2805219
11	Urban Development and Public Works	Revenue	879316	10600	889916
		Capital	2300	0	2300
	Total		8596513	322227	8918740

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No 1) Bill, 2021 is introduced in pursuance of sub-section (1) of section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2020-2021.

MANISH SISODIA, Dy. Chief Minister / Finance Minister

Delhi

06 March, 2021

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2021 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

C. VELMURUGAN, Secy.